MOST URGENT

Vidhan Sabha Unstarred Question-U215

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SCs, STs, OBCs AND MINORITIES
B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.5(58)/2022/DSCST/VSQ/U215/ 2366-67 Date: 28/3/22

To

The Deputy Secretary (Question Branch),
Govt. of NCT of Delhi, Delhi Vidhan Sabha Sachivalya,
Old Secretariat, Delhi-110054

Sub: - Vidhan Sabha Unstarred Question No. 215 for 29/03/2022 raised by Hon'ble MLA Sh. Jarnail Singh.

Sir,

Please refer to the Deputy Secretary (Question Branch) Vidhan Sabha Delhi letter No.F.11(B-1)VI/2020-2025/V.S.S/Question Branch/3224, dated 19.03.2022 on the subject cited above. In this regard, I am directed to enclose herewith the reply of the above said Question (100 Copies and soft copy in pdf file) for your kind information and necessary action at your end.

Yours faithfully,

Encl: - As above.

Dy. Director (DSCST)

No. F.5(58)/2022/DSCST/VSQ/U215/ 2366-67 Date: 28/3/22

Copy for information to:-

1. Dy. Director, Information & Publicity Department, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Block-9, Delhi-110054 (enclosed herewith 150 Copies of reply of the above Question).

Dy. Director (DSCST)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

ई–मेल:scstscholarship.delhi@gov.inवेबसाईट:www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

अतारांकित प्रश्न संख्या	–	215
दिनांक	–	29 मार्च, 2022
प्रश्नकर्ता	–	श्री जरनैल सिंह

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

<table>
<tr><th>प्र. सं.</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क</td><td>अल्पसंख्यक विभाग को अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–2020 व 2020–2021 में ट्यूशन फीस वापसी के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, वर्षवार विस्तृत विवरण दिया जाए;</td><td>वर्ष 2018–19 में 7262 तथा 2019–20 में 7746 ट्यूशन फीस वापसी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

वर्ष 2020–21 से ट्यूशन फीस वापसी योजना (अल्पसंख्यक समुदाय) इस विभाग से राजस्व विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है एवं राजस्व विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार वर्ष 2020–21 में ट्यूशन फीस वापसी योजना (अल्पसंख्यक समुदाय) के कुल 6671 आवेदन प्राप्त हुए है जिनके आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2021 थी।</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>विभाग द्वारा इनमें से कितने आवेदकों को ट्यूशन फीस वापसी दी गई;</td><td>वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:<table><tr><th>वर्ष</th><th>आवेदक/लाभर्थियों की सं</th></tr><tr><td>2018–19</td><td>17550</td></tr><tr><td>2019–20</td><td>4397</td></tr></table>चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय व अन्य पिछड़ा वर्ग का भुगतान–शीर्ष, वर्ष 2020–21 से पहले एक मद ही था अतः उपरोक्त विवरण में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आंकडे भी सम्मिलित है।

राजस्व विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार वर्ष 2020–21 में आवेदनों की निष्पादन प्रक्रिया जारी है जिसका शीघ्र–अतिशीघ्र निपटान किया जा रहा है। आवेदनों की जांच के दौरान त्रुटिंया पाई जा रही है, उनके निवारण हेतु संबंधित स्कूल/इंस्टिटयूट को पुनः जांच करने के लिए आग्रह किया गया है। अभी तक सही 48 आवेदनों का आधार सीड बैंक खाता PFMS द्वारा सही पाया गया जिनका भुगतान प्रक्रिया के अंतर्गत है। बाकि सभी आवेदनों का भी निपटान शीघ्र–अतिशीघ्र किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>बचे हुए आवेदकों को ट्यूशन फीस वापिस ना मिलने के क्या–क्या कारण है उनका विवरण दियाा जाए;</td><td>वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में कुछ आवेदन पत्र स्कूलों द्वारा स्वीकृत नही हुए तथा कुछ स्कूल के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत नही हुए। जिसके कारण भुगतान लंबित था। परन्तु वर्तमान मे सभी स्वीकृत प्रार्थना पत्रों पर भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार वर्ष 2020–21 में लाभार्थियों को फीस वापिस न मिलने के कारण निम्नलिखित है:

- अपेक्षित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न न होना,
- विद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों में पूर्ण/सही दस्तावेजों का ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड न होना,
- आवेदक का बैंक खाता आधार से सीड ना होना, इत्यादि।</td></tr>
</table>

AMIT KUMAR PAMASI
Deputy Director
Department for the Welfare of
SC/ST/OBC/Min
Govt. of NCT of Delhi
Vikas Bhawan, I.P. Estate New Delhi-02

प्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
घ	नियमानुसार आवेदन की सभी शर्तें पूरी करने के कितने समय के अंदर विभाग द्वारा फीस वापस मिल जानी चाहिए;	इस विभाग के अनुसार वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में 90 दिन के भीतर, बशर्तें फंड की उपलब्धता हो तथा आवेदन की सभी शर्तें पूरी हो। राजस्व विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार वर्ष 2020–21 में इस संबन्ध में अलग स्तर की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
ड़	फीस वापस ना मिलने के मुख्य कारण क्या है, पूर्ण विवरण दिया जाए;	इस विभाग के अनुसार वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में स्वीकृत आवेदनों में पर्याप्त फंड उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ। राजस्व विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए मुख्य कारण: - योजना के पहली बार कार्यान्वन के समय कुछ तकनीकी कारणों से विलम्ब हुआ। - योजना का डीबीटी कोड देर से प्राप्त हुआ, जिसके बाद PFMS पर योजना का पंजीकरण होने मे समय लगा। - दस्तावेज देखने का विकल्प लेने के लिए NIC द्वारा विशेष प्रावधान करवाना। - ई–डिस्ट्रिक्ट साईट से पूर्ण सैंक्शन फाइल के दस्तावेज डाउनलोड न होना इत्यादि।
च	इस विलम्ब के लिए जिम्मेवार अधिकारियों का उन पर की जाने वाली कार्रवाई सहित विवरण दिया जाए; और	इस विभाग के अनुसार गत 2 वर्षों (2018–19 एवं 2019–20) में कारोना महामारी के कारण इस योजना में निर्धारित समय मे अपेक्षित लाभ नही मिल पाया हैं। इसका कारण तकनीकी/प्रशासनिक जनित रहा और किसी भी रूप में व्यक्तिजनक नहीं था, हॉलाकि वर्तमान में भुगतान प्रकिया चालू है। राजस्व विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार वर्ष 2020–21 में योजना को पहली बार प्रारम्भ किया गया, इसलिए योजना के कियान्वयन के संदर्भ में विलम्ब तकनीकी / प्रशासनिक जनित है तथा व्यक्तिजनक नही है।
छ	क्या जिन आवेदकों को फीस वापस की गई है उनको बताए गए निर्धारित समय के अंदर फीस वापसी योजना का लाभ मिला है?	

उप–निदेशक
(डीएससीएसटी)

AMIT KUMAR PAMASI
Deputy Director
Department for the Welfare of
SC/ST/OBC/Min
Govt. of NCT of Delhi
Estate New Delhi-02